प्रेस नोट 02.01.2021

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित तीन अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में आज दिनांक 02.01.2020 को थाना **रामपुर** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रसूलपुर के पास से मु0अ0सं0 01/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण राजेन्द्र पुत्र धर्मदेव, नेपाली उर्फ कृष्णानन्द, आनन्द पुत्रगण राजेन्द्र निवासीगण रसूलपुर आदमपुर उर्फ रामपुर थाना रामपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

90 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब तथा 35 शीशी देशी शराब बरामद, 06 अभियुक्त गिरफ्तार–

अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरूद्ध जनपद मऊ पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के कम में दिनांक 01.01.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा सुहेलपुर के पास से काउस पुत्र स्व0 पलकधारी निवासी तिघरा डड़िया थाना घोसी के कब्जे से 40 लीटर, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा मिश्रौली नहर पुलिया के पास से लालजी पुत्र अमरजीत निवासी चन्द्रबारी थाना दोहरीघाट के कब्जे से 20 लीटर, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा इटौरा चौबेपुर के पास से रामवृक्ष राजभर पुत्र दुबारी निवासी सिया बस्ती थाना मुहम्मदाबाद के कब्जे से 10 लीटर, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा भैसही पुलिया के पास से राजेश चौहान पुत्र स्व संवरू निवासी देउरी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर के कब्जे से 10 लीटर, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा मऊ कुबेर के पास से सुमन प्रकाश पुत्र उदयभान निवासी तरवाडीह थाना हलधरपुर के कब्जे से 10 लीटर, चन्द्रीका पुत्र स्व0 रमेश्वर निवासी नसीराबाद थाना हलधरपुर के कब्जे से 35 शीशी बन्टी बबली बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

हत्या का आरोपित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 02.01.2021 को थाना **घोसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान नदवा सराय मोड़ के पास से मु0अ0सं0 1033/20 धारा 302 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सुनील चौहान पुत्र फौजदार चौहान निवासी जलईपुर मसीना थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.12.2020 को वादी दुर्गविजय चौहान द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि दिनांक 26.12.2020 को वादी की पुत्री (मृतक) पर चारी का आरोप लगाकर गला दबाकर कर हत्या उसके ससुराल वालों द्वारा कर दिया गया है इस सम्बन्ध में उक्त मृतिका के पति सहित तीन लोगों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1033/20 धारा 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें उक्त अरोपी मृतक के पति को गिरफ्तार किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 02.01.2021 को थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान गहनी मोड़ के पास से मु0अ0सं0 413/20 धारा 323,504,506,308 भादवि0 में वांछित अभियुक्त मनमोहन पाण्डेय पुत्र जयप्रताप पाण्डेय निवासी मोहम्मदपुर बरहिया थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 15 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 02.01.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा अरबाज खॉ, आफीस, मोनू उर्फ सरफराज, अरसद निवासीगण नदवा सराय,र अमरदीप राजभर, बाला निवासीगण लखनीमुबारकपुर, सहाबुद्दीन, फूलमुहम्मद निवासीगण बहरामपुर थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा बाललखंदर, बजरंगी निवासीगण हलधरपुर थाना हलधरपुर, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा रमेश यादव, सम्भू यादव निवासीगण सोहराबपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा मूकेश निवासी कसारी, दीपक सिंह निवासी पलिया थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा इमरान अहमद, मेराज अहमद निवासीगण बुनकर कालोनी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।